भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3537
11.08.2025 को उत्तर के लिए

हरित रोजगार सृजन

3537. श्री मनोज तिवारीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए हरित रोजगार सृजन को एक रणनीति के रूप में एकीकृत किया है;
(ख) वायु गुणवत्ता सुधार के संबंध में दिल्ली में शुरू किए गए कौशल या रोजगार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस हेतु उत्तर-पूर्वी दिल्ली जैसे संवेदनशील या प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को लक्षित किया जा रहा है; और
(घ) यदि हाँ, तो ऐसे हरित पहलों के तहत कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण और रोजगार दिया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, संधारणीय कृषि, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को संबोधित करने वाले क्षेत्र तथा स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी योजनाओं में हरित कौशल कार्यबल को शामिल करने की क्षमता है।

मरम्मत, नवीनीकरण/ पुनर्चक्रण पर आधारित नए उत्पाद/सेवाएँ नए मार्केट हैं जिनमें अपशिष्ट संग्रहण में न्यूनतम कुशल, मरम्मत, नवीनीकरण/ पुनर्चक्रण में अर्ध-कुशल, और डिज़ाइन एवं पुनर्रचना में उच्च कुशल नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक 10,000 टन अपशिष्ट उत्पादों के पुनर्चक्रण से लगभग 115 नौकरियाँ उत्पन्न होती हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के योगदान को बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण क्षेत्र के एकीकरण के लिए बेहतर कार्य स्थितियां और आय स्थिरता प्रदान करने में राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने अपशिष्ट संग्रहण, छंटाई और परिवहन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सुसज्जित/प्रशिक्षित किया है, उदाहरण के लिए: केरल (हरित कर्म सेना), छत्तीसगढ़ (स्वच्छता दीदी), ओडिशा (महिला एसएचजी) और महाराष्ट्र में (स्वच्छ सहयोगी)।

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा कौशल विकास हेतु विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से कई कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 30 से अधिक सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुगम बनाने के लिए कार्यरत हैं। 4 लाख से अधिक उम्मीदवारों को ग्रीन जॉब्स के लिए स्किल काउंसिल, जो एसएससी में से एक है, के अंतर्गत प्रमाणित किया जा चुका है।

मिशन लाइफ़ चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों - रिड्यूज, रिपेयर, रीयूज, और रीसाइकल - के महत्व पर भी ज़ोर देता है। वर्ष 2030 और 2050 के दौरान देश में होने वाले अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन को 'पर्यावरण के लिए हानिकारक' से 'आर्थिक रूप से लाभदायक' में बदलने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। सरकार ने चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 11 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है, अर्थात् ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-बैटरी अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल, बेकार टायर, जीवन-समाप्त वाहनों का अपशिष्ट, धातु स्क्रैप, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्ट। चक्रीय अर्थव्यवस्था में विविध कौशलों के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में, वर्तमान 50 लाख रोजगारों में वृद्धि करते हुए, अतिरिक्त 33 लाख रोजगार सृजित करने की क्षमता है। कौशल/प्रशिक्षण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और साथ ही बुनियादी ढाँचे, निवेश, प्रौद्योगिकी, कौशल और अनौपचारिक क्षेत्र एकीकरण जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बेकार टायर, प्रयुक्त तेल, जीवन-अंत वाहन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और अलौह धातु स्क्रैप के संबंध में बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर विनियमों को अधिसूचित किया है।

ईपीआर रूपरेखा के कार्यान्वयन से अपशिष्टों के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन हेतु एक संधारणीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है और अपशिष्ट से संसाधनों की प्राप्ति के साथ-साथ अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र का औपचारिक क्षेत्र में एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। ईपीआर रूपरेखा के अंतर्गत पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने से लाखों हरित रोज़गारों के सृजन के अवसर प्राप्त होते हैं।

****